जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 07.09.2022**

आज दिनांक 07.09.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

01 किलो 350 ग्राम नाजायज गांजा व चोरी के विद्युत मोटर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 07.09.2022 को क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **धनघटा पुलिस** द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम गरथवलिया के समीप भट्ठे के पास से अभियुक्त नाम पता बलवन्त बेलदार पुत्र स्व0 पलटू बेलदार निवासी औजी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को 01 अदद चोरी के विद्युत मोटर, 01 किलो 350 ग्राम नाजायज गांजा व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
बलवन्त बेलदार पुत्र स्व0 पलटू बेलदार निवासी औजी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर।

बरामदगीः-
1-01 अदद विद्युत मोटर Koel कंपनी का।
2- 01 किलो 350 ग्राम नाजायज गांजा।
3-01 अदद मोटरसाइकिल होण्डा। (रजि0नं0 यूपी 53 सीपी 5818) (अंतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज)

घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोगः-
1-मु0अ0सं0 511 / 2022 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना धनघटा। (नाजायज गांजा के संबंध में)
2-मु0अ0सं0 512 / 2022 धारा 41 / 411 भादवि थाना धनघटा (बरामद चोरी के विद्युत मोटर के संबंध में)

संक्षिप्त विवरणः- अभियुक्त द्वारा बरामद विद्युत मोटर के संबंध में पूंछताछ में बताया गया कि यह मोटर दिनांक 05.09.2022 को रात में ग्राम कुंआ में एक खेत में लगा था जिसे मैने खोलकर रख लिया था। बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में कागज प्रस्तुत ना कर पाने के कारण उक्त मोटरसाइकिल को अंतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी चौकी बसवारी गांव उ0नि0 श्री पवन कुमार, कां0 अमित राय, कां0 ओमवीर यादव, कां0 शुभम सिंह।

बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अं0सं0 408 / 2022 धारा 363 / 366 भादवि मे वांछित अभियुक्त नाम पता अमन कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम दुलमपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को बण्डा पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को दिनांक 10.08.2022 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए धनघटा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 07.09.2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 उदय शंकर द्विवेदी मय हमराह हे0का0 भोला यादव।

दुधारा पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 02 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता क्रमशः 1- सुधार वर्मा उर्फ बुद्धु पुत्र संतबली निवासी पचपोखरी थाना दुधारा, 2-लल्लू पुत्र रामसुभग निवासी लौकीलाला थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रजनीश राय, उ0नि0 श्री बृजमोहन सिंह, हे0का0 कैलाश पाण्डेय।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3305 द्वारा गायब लड़की को स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से तलाश कर परिजनों को किया गया सुपुर्द – पीआरवी 3305 को थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत इवेन्ट संख्या 03459 से कालर ने एक लड़की के अपने ससुराल से गायब होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 06 मिनट में पहुँचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से तलाश कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया तथा घटना के संबन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर गायब लड़की को परिजनों के सुपुर्द किया गया , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आरक्षी जितेन्द्र शाह, हो0चा0 अवधेश कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 75 वाहनो से 62,000 रु0 सम्मन वसूल किया गया

आज दिनांक 07.09.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 75 वाहनों से 62,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया।